BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

संस्थान M/s The Institute of Charted Acccountants of India को कार्यालय पत्रांक 7018/डी० दिनांक 31.10. 2009 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में प्लॉट संख्या– बी०– 3(पार्ट) एवं बी०– 4(पार्ट), रकवा 14225 वर्गफीट एवं पत्रांक 991/डी० दिनांक 20.02.2010 (संशोधन कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4824/डी० दिनांक 22.07.2010) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में प्लॉट संख्या– बी०– 3(पार्ट) एवं बी०– 4(पार्ट), रकवा 3692 वर्गफीट कुल रकवा 17917 वर्गफीट का आवंटन Educational Institute स्थापित करने हेतु प्राधिकार के नियम एवं शर्तो के अधीन किया गया। संस्थान को उक्त भू-खण्ड का भौतिक स्वामित्व लेने संबंधी सभी औपचारिकतायें ससमय पूरी की गयी। प्राधिकार द्वारा सारी औपचारिकतायें पूरी किये जाने के बावजूद निर्धारित अवधि में बीत जाने के उपरांत अनुमोदित नक्शा के अनुरूप कार्य प्रारभ नहीं किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक 3100 दिनाक 30.06. 2017 से संस्थान को नोटिस निर्गत किया गया। पुनः भूमि आवंटन के आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सस्थान के द्वारा परियोजना स्थापित नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 3164/डी दिनाक 28. 05.2018 द्वारा अंतिम कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। कार्यालय पत्रांक 6524/डी दिनांक 22.12.2018 के द्वारा संस्थान के अनुरोध पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अनुमोदित नक्शा के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु अंतिम रूप से 30 दिनों का समय दिया गया। पुनः कार्यालय पत्रांक 5244/डी दिनांक 27.08. 2019(अंतिम नोटिस) के द्वारा संस्थान को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 30 दिनो के अंदर Educational Institute स्थापित किये जाने संबंधित कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेशित किया गया। संस्थान का किये गये निरीक्षण दिनांक 13.01.2020 के क्रम में विषयांकित स्थल पर कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं पाया गया, केवल एक छोटा कमरा निर्मित है एवं शेष भूमि रिक्त है। जिससे स्पष्ट है कि संस्थान को आवंटन के दशक बीत जाने के बावजूद स्वीकृत परियोजना Educational Institute स्थापित करने में अभिरूचि नहीं है। केवल औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को कब्जे मात्र में रखा गया है।

अतः बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत प्राधिकार भूमि मद में जमा की गई राशि को जब्त करते हुए संस्थान M/s The Institute of Charted Acccountants of India, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा को आवंटित प्लॉट संख्या– बी०–3 (पार्ट) एवं बी०– 4 (पार्ट) कुल रकवा 17917 वर्गफीट के आवंटन को रद्द की जाती है।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 19.02.2020

ह०/-
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांकः– 790/D   दिनांकः– 25/02/2020

प्रतिलिपिः– M/s The Institute of Charted Acccountants of India, Patna Branch of ICAI, 309, Jagat Trade Centre, Fraser Road, Patna- 800001/क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा/आई०टी० बियाडा, पटना /लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्र०नि० कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2020
कार्यकारी निदेशक।